न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– बंशीधर योगी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 54 / 2024 राजस्व वाद

1. नारायण लाल पुत्र श्री मांगी लाल रायका आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भंवर लाल पुत्र श्री मांगू उर्फ मांगी लाल रायका आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. धर्मचन्द पुत्र श्री मांगी लाल रायका आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. हनुमान पुत्र श्री जीवन रायका आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. अमन पुत्र जीवन देवासी (रायका) आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. त्रिलोक पुत्र श्री गिरधारी रायका आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

01. जयसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 05
3. एकपक्षीय ——प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04

:: निर्णय :: दिनांक–23/07/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 88,89,92–क,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा पूर्व तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0) मे साबिक आराजी नम्बर 522, 523, 524, 525 भूमि जो कि तत्कालीन खातेदार शम्भू सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह राजपूत के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। शम्भू सिंह द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजियात मे से 07 सात बीघा 05 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

भूमि वादीगण के पूर्वज वादी संख्या 01 लगायत 03 तीन के पिता व वादी संख्या 04 एंव 05 के बड़े पिता व वादी संख्या 06 के बड़े भाई पिता मांगू वल्द गिरधारी रेबारी जो कि परिवार के बड़े पुत्र व बड़े सदस्य होने से संयुक्त हिन्दु परिवार के शामलाती तोर पर जरिये पट्टा संवत 2025 का बेसाख सुदी 9 को दी गयी, कब्जा दिया गया। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित साबिक आराजी नम्बर के नवीन आराजी नम्बर 690 रकबा 0.6450 हैक्टयर, आराजी नम्बर 691 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 692 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 693 रकबा 0.4047 हैक्टयर, आराजी नम्बर 694 रकबा 0.4932 हैक्टयर कुल रकबा 1.7073 हैक्टयर है। उक्त कयशुदा 07 बीघा 05 बिस्वा का उक्त पट्टेधारी मांगू के वारीसान व उनके भाई जीवन रेबारी व वादी संख्या 06 त्रिलोक तीनो 1/3, 1/3 हक हिस्से पर यानि वादी संख्या 01 लगायत 03 तीन का 1/3 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 एवं 05 का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 06 का 1/3 हक हिस्सा अनुसार कय की दिनांक से पट्टा धारी व उनके भाई व उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारीसान वादी संख्या 01 लगायत 05 व कय की दिनांक से वादी संख्या 06 का आज भी आराजी नम्बर 690 रकबा 0.6450 हैक्टयर, आराजी नम्बर 691 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 692 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 693 रकबा 0.4047 हैक्टयर, आराजी नम्बर 694 रकबा 0.4932 हैक्टयर कुल रकबा 1.7073 हैक्टयर भूमि पर वादीगण का निर्बाध रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग आमजन व पक्षकारो की जानकारी मे विगत करीब 55 वर्षो से चला आ रहा है। वादीगण की उक्त भूमि पर वादीगण व उसके पूर्वजो द्वारा लाखो रूपये खर्च कर उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया है व आज भी वादीगण का मौके पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 पांच को कई बार उक्त पट्टे से प्राप्त भूमि व कब्जेशुदा भूमि वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया व समय समय पर प्रार्थनापत्र भी पेश किये गये, जिस पर वादीगण को खातेदारी हक अधिकार से भूमि दर्ज कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज दिन तक वादीगण के नाम पर भूमि दर्ज नही की गयी है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। हाल ही मे प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार द्वारा वादीगण के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा किया व वादीगण को जबरन बेदखल करने व भूमि जो कि उनके नाम पर विरासत से दर्ज होने से वादीगण को जबरन बेदखल करने व अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकी दी। इस पर वादीगण द्वारा भी उनको उक्त भूमि वादीगण के पिता व बड़े पिता व भाई द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 चार के पूर्वज शम्भू सिंह जी से कय करना व जरिये पट्टा के प्राप्त करना बताया व उक्त भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज कराने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादीगण इस हेतु तैयार नही हुए। वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा अपनी उक्त भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। वादीगण द्वारा दिनांक 22 बाईस जनवरी 2024 दो हजार चौबीस को भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 चार को कहा , लेकिन वो मना कर दिया, इस पर प्रतिवादी संख्या 05 पांच को भी राजस्व रेकार्ड मे भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज करने हेतु निवेदन किया, जिस

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

पर प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा मना कर सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी। यदि प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल कर देगे तो वादीगण अपनी भूमि से वंचित हो जायेगे व वादीगण अपनी भूमि से वंचित हो जायेगा व वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीगण को सरहद ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 690 रकबा 0.6450 हैक्टयर, आराजी नम्बर 691 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 692 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 693 रकबा 0.4047 हैक्टयर, आराजी नम्बर 694 रकबा 0.4932 हैक्टयर कुल रकबा 1.7073 हैक्टयर से वादीगण को जबरन बेदखल नही करे व वादीगण को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा नही करे व न ही किसी अन्य से करावे। सरहद ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 690 रकबा 0.6450 हैक्टयर, आराजी नम्बर 691 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 692 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 693 रकबा 0.4047 हैक्टयर, आराजी नम्बर 694 रकबा 0.4932 हैक्टयर कुल रकबा 1.7073 हैक्टयर भूमि जो कि वादीगण के पूर्वज को पट्टे से प्राप्त व कब्जेशुदा भूमि है, जिस पर वादीगण का अपने पूर्वजो के समय से 55 वर्षो से निर्बाध रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है, वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 व खातेदार खुमाण कंवर का नाम विलोपित करा, उक्त भूमि 1/3 हक हिस्से वादी संख्या 01 लगायत 03 व 1/3 हक हिस्सा वादी संख्या 04 एवं 05 व 1/3 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 06 का है, इसी हक हिस्से अनुसार वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करायी जाने की घौषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है।

यह कि रविन्द्र कौर ग्रेवाल व अन्य बनाम मन्जीत कौर व अन्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय प्रकरण संख्या सिविल अपील संख्या 7764/2014 निर्णय दिनांक 07/08/2019 के निर्णयं अनुसार भी वादीगण का 55 वर्षो से अधिक समय से कब्जा होने से एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जे) के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 व खुमाण कंवर का नाम विलोपित करा वादीगण खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी व वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य मे अपना स्वयं का मौतबीरान व्यक्तियो के शपथपत्र भी पेश किये गये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त रविन्द्र कौर ग्रेवाल व अन्य बनाम मन्जीत कौर व अन्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय प्रकरण संख्या सिविल अपील संख्या 7764/2014 निर्णय दिनांक 07/08/2019 पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

वादी द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज पेश किये गये, जो प्रदर्शित किये गये।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए भूमि वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार सरहद ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 690 रकबा 0.6450 हैक्टयर, आराजी नम्बर 691 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 692 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 693 रकबा 0.4047 हैक्टयर, आराजी नम्बर 694 रकबा 0.4932 हैक्टयर कुल रकबा 1.7073 हैक्टयर है, उक्त भूमि के साबिक आराजी नम्बर 522, 523, 524, 525 जो कि शम्भू सिंह द्वारा उक्त आराजियात मे से 07 सात बीघा 05 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वज वादी संख्या 01 लगायत 03 तीन के पिता व वादी संख्या 04 एंव 05 के बड़े पिता व वादी संख्या 06 के बड़े भाई पिता मांगू वल्द गिरधारी रेबारी जो कि परिवार के बड़े पुत्र व बड़े सदस्य होने से संयुक्त हिन्दु परिवार के शामलाती तोर पर जरिये पट्टा संवत 2025 का बेसाख सुदी 9 को दी गयी, कब्जा दिया गया। भूमि पर मौतबीरान स्वतंत्र गवाहान के अनुसार उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का कब्जा नही रहा है व संवत 2025 को जारी पटटे के अनुसार भी वादीगण व उनके पूर्वजो का ही कब्जा है। उक्त भूमि जरिये पट्टा वादीगण के पूर्वजो को विक्रय कर देने से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का कोई हक अधिकार नही रहा है। वादीगण का संवत 2025 से यानि 55 वर्षो से अधिक समय से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के पेश न्यायिक दृष्टान्त जो कि उक्त प्रकरण मे हुबहु चस्पा होता है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का मौके पर कोई कब्जा नही होने से वादीगण का 55 वर्षो से अधिक समय से निर्बाध रूप से कब्जा होने से वादी को पट्टा के आधार पर एवं एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) के अनुसार खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 690 रकबा 0.6450 हैक्टयर, आराजी नम्बर 691 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 692 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 693 रकबा 0.4047 हैक्टयर, आराजी नम्बर 694 रकबा 0.4932 हैक्टयर कुल रकबा 1.7073 हैक्टयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का नाम विलोपित करा, उक्त आराजिया तमे वादी संख्या 01 लगायत 03 तीन का 1/3 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 एवं 05 का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 06 का 1/3 हक हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बन्शी धर योगी)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)